महत्वपूर्ण/ईमेल/स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–470/सी0ई0ओ0–4–17/4–2019 लखनऊः दिनांकः 11 मार्च, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **आसन्न लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019–फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–3/4/आई0डी0/2019/एसडीआर/खण्ड–। दिनांक 28.02.2019 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निर्वाचन के समय निर्वाचकों की पहचान के संबंध में वैकल्पिक दस्तावेजों के निर्देश प्राप्त हुए है।

2. इस संबंध में मुझे आपका ध्यान आयोग के उक्त पत्र दिनांक 28.02.2019 के प्रस्तर–4 की ओर आकृष्ट कराते हुए यह कहना है कि आसन्न लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये हैं :–

".....**मतदान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड–अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नही किया जायेगा।** हालांकि फोटो मतदाता पर्ची को तैयार करना जारी रखा जायेगा और जागरूकता बढ़ाने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में मतदाताओ को जारी किया जायेगा। मतदाताओं को यह स्पष्ट करने के लिए कि मतदान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को एक स्टैंड–अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नही किया जायेगा तथा ये शब्द **"इस पर्ची को मतदान केन्द में पहचान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नही किया जाएगा। आपसे अपेक्षित है कि आप मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक अपने साथ अवश्य लाएं"** बड़े अक्षरों में फोटो मतदाता पर्ची पर मुद्रित किया जाएगा। फोटो मतदाता पर्ची का मुद्रण जारी रहेगा।"

कृपया आयोग के उक्त निर्देशों को सभी संबंधित के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डा0 अलका वर्मा)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या–470 (1)/सी0ई0ओ0–4 तद् दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिकारी/अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर कक्ष, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

(डा0 अलका वर्मा)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन तत्काल

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आई.डी./2019/एसडीआर/खण्ड-I दिनांक- 28 फरवरी, 2019

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 तथा साथ-साथ होने वाले राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश-तत्संबंधी।

महोदय,

लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 तथा साथ-साथ होने वाले राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन के आगामी निर्वाचनों में निर्वाचकों की पहचान के संबंध में दिनांक 28 फरवरी, 2019 का आयोग का आदेश मुझे इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. आयोग ने यह निदेश दिया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किए गए हैं, उन्हें अपने मत देने से पहले मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए एपिक प्रस्तुत करना है। जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नही होंगे उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। स्पष्टीकरण के दस्तावेजों की सूची नीचे पुनः प्रस्तुत है-

(i) पासपोर्ट;
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) राज्य / केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,
(iv) बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,
(v) पैन कार्ड,
(vi) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
(vii) मनरेगा जॉब कार्ड,
(viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(ix) फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज,
(x) सांसदों, विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
(xi) आधार कार्ड

3. एपिक के मामले में, उसमें प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियां नजरअंदाज कर दी जानी चाहिएं बशर्ते एपिक द्वारा निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सके। अगर निर्वाचक कोई ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड प्रस्तुत करते हैं जो दूसरे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो ऐसे कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में मौजूद हो जहां निर्वाचक मतदान करने उपस्थित हुए हैं। अगर फोटोग्राफ, आदि के बेमेल होने की वजह से निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव नहीं हो तो निर्वाचक को आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा।

4. पूर्व के अवसरों पर, आयोग ने फोटो मतदाता पर्ची को पहचान के लिए एक दस्तावेज के रूप में अनुमति दी थी। हालांकि, इसके दुरुपयोग के आधार पर स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में इसके उपयोग के विरूद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि ये नामावली को अंतिम रूप देने के पश्चात मुद्रित होती हैं और बूथ स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से मतदान के नजदीक वितरित की जाती हैं। फोटो मतदाता पर्ची के डिज़ाइन में किसी भी प्रकार का सुरक्षा लक्षण शामिल नहीं है। वास्तव में, फोटो मतदाता पर्ची को एक वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में शुरू किया गया था क्योंकि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का कवरेज पूरा नहीं हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र हैं और 99 प्रतिशत से अधिक वयस्कों को आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि इसके पश्चात से मतदान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, फोटो मतदाता पर्ची को तैयार करना जारी रखा जाएगा और जागरूकता बढ़ाने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में मतदाताओं को जारी किया जाएगा। मतदाताओं को यह स्पष्ट करने के लिए कि मतदान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को एक स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ये शब्द **"इस पर्ची को मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपसे अपेक्षित है कि आप मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक अपने साथ अवश्य लाएं"** बड़े अक्षरों में फोटो मतदाता पर्ची पर मुद्रित किया जाएगा। फोटो मतदाता पर्ची का मुद्रण जारी रहेगा।

5. प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

6. यह आदेश, रिटर्निंग अधिकारियों और सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए। इस आदेश की प्रादेशिक भाषा में अनूदित एक प्रति हर एक पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आदेश राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित करवाया जाएगा। इस आदेश का सामान्य जनता एवं निर्वाचकों की जानकारी के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तत्काल एवं मतदान का तारीख तक नियमित रूप से बहुत कम अन्तराल पर व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। उक्त साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश से लिखित रूप में अवगत कराया जाए।

7. रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाएंगे कि वे इस आदेश की विवक्षाएं नोट करें और विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को उसकी विषय-वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों/बूथों में उपलब्ध हो।

8. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

(एन.टी. मूटिया)
सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/चेयरपर्सन/महासचिव/संयोजक।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आई.डी./2019/एसडीआर/खण्ड-I दिनांक-28 फरवरी, 2019

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं; तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहां निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा

5. यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया था; तथा

6. यतः, देश में 99% निर्वाचकों से अधिक को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा

8. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते

हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि आगामी लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 तथा लोक सभा साधारण निर्वाचन के साथ होने वाले राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों के लिए सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:-

(i) पासपोर्ट;
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) राज्य / केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,
(iv) बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,
(v) पैन कार्ड,
(vi) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
(vii) मनरेगा जॉब कार्ड,
(viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
(x) सांसदों, विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
(xi) आधार कार्ड

9. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके । यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त पैरा 8 में किसी भी बात के होते हुए, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में उल्लिखित विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,

(के.एफ. विल्फ्रेड)
वरिष्ठ प्रधान सचिव